


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 101] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 1978/चैत्र 8, 1900
No. 101] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 1978/CHAITRA 8, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1978

सा. का. वि. 198(अ).—नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कार्य, शक्तियां और
सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (1971 का 58), की धारा 10 की उपधारा (1) के
तीसरे परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने, नियंत्रक
और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श के बाद, एतद्वारा, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
को पंजाब सरकार के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्धि खातों को
रखने के काम के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया है।

2. यह आदेश 1978-79 के खातों से लागू हो जायेगा । राष्ट्रपति के आदेश और उनके नाम से ।

[संख्या एक. 1(12)-बी (ए.सी.)/78]

के. एन. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 27th March, 1978

G S. R. 198(E).—In exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (1) of Section 10 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971), the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General, hereby relieves the Comptroller and Auditor General from the responsibility of keeping the General Provident Fund Accounts of Class IV employees of the Government of Punjab.

2. This order shall come into force with effect from the accounts of 1978-79.

By order and in the name of the President.

[No. F. 1(12)-B(AC)/78]

K. N. ROW, Joint Secy.